मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16–2 / 2011 / बी–ग्यारह   भोपाल, दिनांक 11 / 5 / 2011

प्रति,

उद्योग आयुक्त
म0प्र0, भोपाल ।

विषय :– उद्योग संवर्धन नीति, 2010 अन्तर्गत जारी प्रवेश कर मुक्ति सुविधा, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना तथा उद्योग निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान योजनाओं हेतु अपात्र उद्योगों की सूची ।

—

उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्य योजना अन्तर्गत प्रवेश कर मुक्ति सुविधा तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना एवं निवेश अनुदान योजना व टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजनाओं हेतु अपात्र उद्योगों की सूची कमशः परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो' अनुसार जारी की जाती है ।

2/ कृपया तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो'

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(एम0 एस0 सोलंकी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16–2 / 2011 / बी–ग्यारह   भोपाल, दिनांक 11 / 5 / 2011

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वाणिज्यिक कर विभाग । कृपया प्रवेश कर छूट सुविधा संबंधी अधिसूचना मे यथानुरूप संशोधन करने का कष्ट करें ।
3 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ग्वालियर म0प्र0 ।
4 महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), ग्वालियर , म0प्र0 ।
5 प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन / म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, भोपाल ।
6 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,   म0प्र0 ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 'एक' एवं 'दो'

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

परिशिष्ट–एक

उद्योग संवर्धन नीति, 2010 के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं हेतु अपात्र उद्योगों की सूची

प्रवेश कर मुक्ति एवं उद्योग निवेश संवर्धन सहायता हेतु अपात्र सूची

क्र.	अपात्र उद्योग
(1)	(2)
1.	आरा मिल
2.	सभी प्रकार के धातु या उसके स्क्रेप की प्रेसिंग कर उसे ब्लाक अथवा अन्य किसी रूप में परिवर्तित करना।
3.	खाद्य तेल रिफाइन करना (स्वतंत्र इकाई)
4.	शराब का सम्मिश्रण या विनिर्माण (अंगूर से बनने वाली वाईन, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, को छोड़कर)
5.	चाय का सम्मिश्रण या विनिर्माण
6.	लस्सी, श्रीखण्ड, आईस क्रीम, चीज़, घी, मक्खन, मठा, फ्लेवर्ड मिल्क आदि का निर्माण (प्लांट एवं मशीनरी में रू0 50 लाख से अधिक पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों को छोडकर)
7.	विनियरिंग तथा प्लायवुड उद्योग
8.	ईट निर्माण (मशीनीकृत इकाईयों व फायर ब्रिक्स निर्माण को छोड़कर)
9.	कोक और कोल ब्रिकेट का विनिर्माण (प्लांट एवं मशीनरी में रू0 50 लाख से अधिक पूंजी निवेश करने वाली मशीनीकृत इकाईयों को छोड़कर)
10.	प्लायवुड तथा काष्ठ (टिम्बर) के बक्सों का विनिर्माण
11.	लकड़ी के कोयले का विनिर्माण
12.	सभी प्रकार के मसालों का विनिर्माण (पैकेज्ड मसालों को छोड़कर)
13.	खनिजों का चूर्ण बनाना।
14.	रस्सी का निर्माण (प्लांट एवं मशीनरी में रू0 25 लाख से अधिक का पूंजी निवेश करने वाली मशीनीकृत इकाईयों को छोड़कर)
15.	सभी प्रकार के फर्श, दीवाल एवं छत पर लगने वाले टाईल्स का, जिसमें खपरैल और कवेलू सम्मिलित है, का विनिर्माण (प्लांट एवं मशीनरी में रू0 1 करोड़ या उससे अधिक का पूंजी वेष्ठन करने वाली मशीनीकृत सिरेमिक एवं स्टोन टाईल्स निर्माण उद्योग को छोड़कर)

क्र.	अपात्र उद्योग
•(1)	(2)
16.	स्टोन क्रेशिंग (गिट्टी तोडना)
17.	लाख तथा चपड़ी विनिर्माण
18.	सभी प्रकार की मुद्रण प्रक्रियाएं (प्लांट एवं मशीनरी में रू0 1 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश से स्थापित सेटोग्रेवियर/ फ्लेक्स प्रिंटिंग एवं प्रिंटिंग तथा मुद्रण प्रक्रिया के किसी निर्माण प्रक्रिया का अंग होने की स्थिति में, ऐसी इकाई को छोड़कर)
19.	बर्फ विनिर्माण
20.	कलर लेबोरेटरीज
21.	सोना या चांदी के बुलियन के आभूषण और अन्य वस्तुओं का विनिर्माण
22.	बर्तन विनिर्माण (उद्योग जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रूपये 25 (पच्चीस) लाख से अधिक हो, को छोडकर)
23.	लकड़ी के खिड़की, दरवाजे, चौखट एवं फर्नीचर निर्माण
24.	स्टोन कटिंग तथा पॉलिशिंग (ऐसे उद्योग जिनमें प्लांट एवं मशीनरी मे पूंजी निवेश रू0 1 करोड़ से अधिक हो, को छोड़कर)
25.	(एक) – लोहा एवं इस्पात की गेल्वेनाइजिंग, जो किसी एकीकृत प्लांट या प्रक्रिया का अंग न हो और केवल गेल्वेनाइजिंग प्लांट एवं मशीनरी में रूपये 1.00 करोड से कम का विनिधान हो।
	(दो) – निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित इकाई, जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में 1.00 करोड रूपये अथवा इससे अधिक पूंजी निवेश से स्थापित की गई, से भिन्न लोहा एवं इस्पात की प्रोसेसिंग इकाई –
	(क) – लोहा तथा इस्पात के स्क्रेप, पिग आयरन और/या स्टील सेमीज (इन्गॉट्स, स्लैब्स, ब्लूम्स और बिलेट्स) तथा केन्द्रिय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (4) में विनिर्दिष्ट लोहा एवं इस्पात की डिफेक्टिव्ज कटिंग, रिजेक्ट्स एवं छोर के टुकडो के उपयोग से स्टील सेमीज (इन्गॉट्स, स्लेब्स, ब्लूम्स तथा बिलेट्स) वॉयर रॉडस, मोल्ड्स, बॉटम प्लेट, डिस्क्स, फोर्जिंग तथा स्टील कास्टिंग्स एवं/अथवा स्टील स्ट्रक्चरर्ल्स (एंगल, ज्वाइन्ट्स चेनल) टी एवं जेड सेक्शन्स (स्टील बार्स, राउन्डस, रॉड्स स्क्वेयर्स, प्लेट्स, आक्टोगन्स, हेक्सागन्स, प्लेन एवं रिब्ड् या ट्विस्टेड, सीधी लम्बाई में क्वाईल के रूप में) शीट्स, हूप्स, स्ट्रिप्स एवं स्केल्प दोनों प्रकार की काली एवं गेल्वेनाईज्ड हॉट एण्ड कोल्ड रोल्ड, प्लेन एवं नालीदार सभी प्रकार की लंबाई में, क्वाइल अथवा रोल्ड रूप में अथवा रिवेटेड रूप में, का विनिर्माण
	(ख) – केन्द्रिय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) में यथा विनिर्दिष्ट कोल्ड रोल्ड या हाट रोल्ड शीट्स (चाहे वह सीधी लम्बाई में हो या क्वाईल के रूप में) तथा हूप्स एवं स्ट्रिप्स के उपयोग से स्टील ट्यूब, पाईप, शीट, पाइलिंग सेक्शन अथवा अन्य किसी प्रकार के रोल्ड सेक्शन का विनिर्माण
	(ग) – स्टील रॉडस से स्टील वायर का खींचना

क्र.	अपात्र उद्योग
(1)	(2)
	(तीन) – प्लांट एवं मशीनरी में 10.00 करोड़ रूपये से अधिक के पूंजी निवेश से स्थापित औद्योगिक इकाई से भिन्न किसी इकाई द्वारा हाट रोल्ड शीट्स (चाहे वह लम्बाई में या क्वाईल रूप में) से कोल्ड रोल्ड शीट्स (चाहे वह लम्बाई मे या क्वाईल रूप में) का विनिर्माण।
26.	केन्द्रिय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खंड (दो–सी) में यथा विनिर्दिष्ट कच्चा (क्रूड) पेट्रोलियम तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद एवं उपोत्पाद का शुद्धिकरण
27.	भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा स्थापित इकाई एवं इन उपक्रमों के संयुक्त क्षेत्र की इकाईयां
28.	भारत सरकार या राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व के औद्योगिक उपक्रम
29.	किसी उद्यमी द्वारा पुर्नजीवित की गई कोई बन्द औद्योगिक इकाई (ऐसी बीमार/बंद औद्योगिक इकाई को छोड़कर, जिसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा पुनर्वास पैकेज अंतर्गत सुविधा का लाभ दिया गया हो)
30.	मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विद्यमान किसी इकाई का स्थानांतरण करके स्थापित की गई इकाई तथा अंतरण, उद्ध्वंसन या बन्द करके उसी स्थान पर स्थापित की गई औद्योगिक इकाई (यदि पूर्व इकाई पर कोई टैक्स बकाया नही हो एवं नवीन इकाई के उत्पाद पूर्व इकाई के उत्पाद से भिन्न हो, तो ऐसी इकाई अपात्र नहीं होगी।)
31.	कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग उद्योग (ऐसे उद्योग जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रूपये एक करोड़ से अधिक हो, को छोड़कर)
32.	सभी प्रकार के साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट (ऐसे उद्योग जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रूपये एक करोड़ से अधिक हो, को छोड़कर)
33.	सभी प्रकार के रंग एवं पेन्ट का विनिर्माण, जहां प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी विनिवेश एक करोड़ रूपये से कम हो
34	कूलर्स का विनिर्माण
35	सभी प्रकार के पान मसाला एवं गुटखा का विनिर्माण
36	20 माइक्रान अथवा उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग्स का विनिर्मिाण ।
37	सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिक्स का विनिर्माण (पल्प पर आधारित साफ्ट ड्रिंक्स को छोडकर)
38	सभी प्रकार की पारंपरिक आटा चक्की, बेसन चक्की, दाल मिल, चावल मिल, आईल एक्सपेलर, पोहा एवं मुरमुरा उद्योग(प्लांट एवं मशीनरी में रू0 50 पचास लाख से अधिक पूंजी निवेश करने वाले उद्योगों को, छोड़कर)
39.	तम्बाखू उत्पाद एवं तम्बाखू आधारित उत्पाद का विनिर्माण
40.	स्लाटर हाउस एवं मीट पर आधारित उद्योग

क्र.	अपात्र उद्योग
(1)	(2)
41	सभी प्रकार की माइनिंग गतिविधियाँ।
42.	ऐसी सभी औद्योगिक इकाईयां, जो विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में नहीं है।
43.	मिठाई एवं नमकीन निर्माण (प्लांट एवं मशीनरी में रू0 50 लाख से अधिक पूंजी निवेश करने वाली पैकेज्ड मिठाई एवं नमकीन निर्माण करने वाली इकाईयों को छोड़कर)
44.	सोया प्रोसेसिंग उद्योग (ऐसे उद्योग जिनके कुल उत्पादन में सोयाबीन तेल (रिफाइंड तेल सहित) व डि–आइल्ड केक के अतिरिक्त अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रतिशत (कुल विक्रय मूल्य के आधार पर) 25 (पच्चीस) अथवा उससे अधिक हो, को छोड़कर
45.	लोहे के फर्नीचर का विनिर्माण (ऐसी इकाईयां जिसमें प्लांट एवं मशीनरी अंतर्गत रू 50 (पचास) लाख से अधिक का पूंजी निवेश हो, को छोड़कर)
46.	सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग (IT/ITES) (ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग जो 'आई.टी. पार्क' में स्थापित हों, को छोड़कर)
47.	ऐसे उद्योग जो राज्य शासन अथवा राज्य शासन के घोषित चूककर्ता / अपराधी (defaulter) हैं।
48.	अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जायें।